संख्या-32/2023/001-368-2345149-2023-12-5002-099-2-2023

प्रेषक,

राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2023

विषय:-अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक-2402-मृदा तथा जल संरक्षण-103-भूमि सुधार तथा विकास-08-जनपद हमीरपुर मे जैविक खेती के विकास की योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-भू0सं0/बाढ़ों0यो0/499/जन0हमी0जै0खे0के0वि0कीयो0/2022-23, दिनांक 09-03-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-11 के लेखा शीर्षक-2402-मृदा तथा जल संरक्षण-103-भूमि सुधार तथा विकास-03 बुन्देलखण्ड के सभी विकास खण्डों में प्राकृतिक खेती की योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रू0 430.00 लाख के सापेक्ष हो रही बचत से अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक-2402-मृदा तथा जल संरक्षण-103-भूमि सुधार तथा विकास-08-जनपद हमीरपुर मे जैविक खेती के विकास की योजना के विभिन्न मानक मदों में **कुल रू0 256.50 लाख (रूपये दो करोड़ छप्पन लाख पचास हजार मात्र)** के पुनर्विनियोग की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) पर वित्त विभाग द्वारा आवंटित **आर.ई.संख्या –बजट-1-557 दिनाँक 21.03.2023 में प्रदत्त सहमति** के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) जिस योजना/मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashashanadesh.org

(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।

(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(5) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व विभाग का होगा।

(6) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2402001030800 (जनपद हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजना)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	011	2402001030800 जनपद हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजना	27 सब्सिडी	1,96,00,000 (रुपये एक करोड़ छियानबे लाख मात्र)
2	011	2402001030800 जनपद हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजना	42 अन्य व्यय	46,50,000 (रुपये छियालीस लाख पचास हजार मात्र)
3	011	2402001030800 जनपद हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	14,00,000 (रुपये चौदह लाख मात्र)
	कुल			**2,56,50,000 (रुपये दो करोड़ छप्पन लाख पचास हजार मात्र)**

महायोग	2,56,50,000 (रुपये दो करोड़ छप्पन लाख पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bharatiyashashanadesh.org

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव,

संख्या-32/2023/001-368-2345149-2023-12-5002-099-2-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
5-संबंधित जनपदीय मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
7- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर सेल एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20222023-260-2345149-2023-12-5002-099-2-2023

विषय:- लेखा शीर्षक-2402-मृदा तथा जल संरक्षण-103-भूमि सुधार तथा विकास-08 जनपद हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में रु.190.00 लाख, 42-अन्य व्यय में रु.46.50 लाख, 44-प्रशिक्षण व्यय में रु.14.00 लाख के पुनर्विनियोग के संबंध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2402001030300 (बुन्देलखण्ड के सभी विकास खण्डों में गौ-आधारित प्राकृतिक खेती की योजना)	27 (सब्सिडी)	4,30,00,000 [illegible] लाख मात्र	4,30,00,000 रुपये चार करोड़ तीस लाख मात्र	2,56,50,000 [illegible] पचास हजार मात्र	1,73,50,000	2022-2023

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2402001030800 (जनपद हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजना)	27 (सब्सिडी)	2,98,00,000 रुपये दो करोड़ [illegible] लाख मात्र	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ [illegible] लाख मात्र	4,48,00,000	2022-2023
011	2402001030800 (जनपद हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजना)	42 (अन्य व्यय)	1,88,00,000 रुपये एक करोड़ अट्ठासी लाख मात्र	46,50,000 रुपये छियालीस लाख पचास हजार मात्र	2,34,50,000	2022-2023
011	2402001030800 (जनपद हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजना)	44 (प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य आनुषंगिक व्यय)	28,00,000 रुपये अट्ठाईस लाख मात्र	14,00,000 रुपये चौदह लाख मात्र	42,00,000	2022-2023

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें :-

1-स्तम्भ-2 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है :-

अ-प0 दीन दयाल किसान समृद्धि योजना बुन्देलखण्ड के सभी विकास खण्डों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती की योजना वर्ष 2022-23 में 27-सब्सिडी में कोई कार्यक्रम न होने के कारण।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-10 में अंकित आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है :-

ब-जनपद हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष बजट प्राविधान कम होने के कारण। उल्लेखनीय है कि योजना को [illegible] मा0 मंत्री-परिषद द्वारा तीन वर्षीय योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसकी अवधि दिनांक 31-03-2023 को समाप्त हो रही है। यदि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष आवश्यक धनराशि रु.256.50 लाख का पुनर्विनियोग नहीं किया जाता है तो अगले वित्तीय वर्ष में पुन: मा0 मंत्री-परिषद से कार्ययोजना के अवधि के विस्तार हेतु स्वीकृत कराना पड़ेगा अन्यथा की दशा में कृषक लाभ से वंचित हो जायेंगे तथा उनके जैविक उत्पाद का समय से [illegible] नहीं हो सकेगा।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: बजट-1-557-2022-23, दिनांक- 21 मार्च, 2023

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(अमर चन्द)
अनु सचिव

Signed by नीलेश कुमार सिंह
Date: 21-03-2023 12:13:33
Reason: Approved

(नीलेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग

~~(कृष्ण चन्द्र)~~
~~उप सचिव (वित्त विभाग)~~

Scanned with CamScanner

I/293884/2023

File No.12-5002(099)/2/2023- -5-

File No.12-5002(099)/2/2023- -5-

368-2345/49-2023-12-5002-099-2-2023

संख्या : < >/< >, < > दिनांक- मार्च, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) संबंधित जनपदीय वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0 प्र0
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0 एम 0-8 तीन प्रतियों में)।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
(9) गार्ड बुक।

आज्ञा से

Signed by अमर चन्द्र

(अमर चन्द्र)

Date: 10-03-2023 10:59:32

Reason: Approved

Scanned with CamScanner

Search easily on www.bhartiyashashanadesh.org

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।